

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का संस्थान)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली-110012

संख्या: 53(2)/18-मा.स./एनएससी

दिनांक 13 अक्टूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: औद्योगिक मंहगाई भत्ता वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों /
अधिकारियों के औद्योगिक मंहगाई भत्ते की दर में संशोधन ।

उपरोक्त विषय पर दिनांक 14.07.2022 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन की ओर
ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

लोक उद्यम विभाग के कार्यालय आदेश संख्या डब्ल्यू-02/0039/2017-लोउवि (मजूरी
कक्ष) जी.एल.- XVII/2022 दिनांक 06.10.2022 के अनुसार दिनांक 01.10.2022 से औद्योगिक
मंहगाई भत्ते में वर्तमान दर 32.50% से बढ़ कर 34.80% कर दिया गया है।

दिनांक 16.6.1998 को हुई 175वीं बैठक में निदेशक मण्डल के अनुमोदन से
लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-02/0039/2017-लोउवि (मजूरी
कक्ष) जी.एल.- XVII/2022 दिनांक 06.10.2022 के अनुसार 01.10.2022 से परिवर्तनीय
औद्योगिक मंहगाई भत्ते का निर्णय लिया गया है चूंकि एन.एस.सी. में 01.01.2017
से नये वेतनमान कार्यालय आदेश सं. 154 दिनांक 02.04.2018 से लागू हैं अतः
औद्योगिक मंहगाई भत्ता वेतनमान में कार्यरत निगम के अधिकारियों / कर्मचारियों
पर निम्नानुसार औद्योगिक मंहगाई भत्ता लागू होगा।

देय तिथि

01.10.2022

संशोधित मंहगाई भत्ते की
दर (प्रतिशत)

34.80%

उमर संदर्भित दर लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन डब्ल्यू-02/0039/2017-
लोउवि (मजूरी कक्ष) जी.एल.- XVII/2022 दिनांक 06.10.2022 के अनुसार औद्योगिक
मंहगाई भत्ता की दरें उन कर्मचारियों / अधिकारियों जिनके वेतन दिनांक
01.01.2017 से संशोधित किए गए हैं, के मामले में लागू होगी। वर्तमान दरों का
प्रवर्तमान अक्टूबर माह 2022 से किया जाएगा।

सुजाश्री
13/10/2022
(पूजा शर्मा)

सहायक प्रबन्धक (मा. सं.)

प्रतिलिपि:

1. सभी क्षेत्रीय प्रबन्धक/प्रक्षेत्र प्रबन्धक, एनएससी लिमिटेड।
2. सभी फार्म प्रमुख, केन्द्रीय राज्य फार्म, एनएससी लिमिटेड।
3. मुख्यालय के सभी विभागाध्यक्ष
4. उप महा प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)/(क.भ.नि.), एन.एस.सी. नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव
6. निदेशक (वित्त) / निदेशक (वाणिज्य), एन.एस.सी. नई दिल्ली।
7. सुचना तकनीकी विभाग- उचित कार्यावाही हेतु।
8. गार्ड फाइल ।